न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 65 / 2022 (2022 / 107)

अपीलार्थीगण

1. भंवरलाल पुत्र ओमाराम
2. श्रीमती शिम्भुदेवी धर्मपत्नी भंवरलाल जातियान कुम्हार, निवासीयान ग्राम बालेसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. सरपंच ग्राम पचांयत धीरपुरा, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।
3. शम्भुसिंह पुत्र गजेसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मोकमगढ़ धीरपुर, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर जो राजस्व विविध प्रकरण संख्या 5 / 2022 सरपंच ग्राम पंचायत धीरपुरा बनाम भंवरलाल में दिनांक 05.08.2022 को पारित किया गया।

————

उपस्थिति

1. अभिभाषक श्री सत्यनारायण राजपुरोहित (अपीलार्थीपक्ष)।
2. अभिभाषक श्री भूपतसिंह जोधा (प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3)।
3. प्रत्यर्थी संख्या 2 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक :— 18.10.2022

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर जो राजस्व विविध प्रकरण संख्या 5 / 2022 सरपंच ग्राम पंचायत धीरपुरा बनाम भंवरलाल में दिनांक 05.08.2022 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोकमगढ़ के खसरा नं0 937/2 की 2 बीघा भूमि अपीलान्ट संख्या 01 भंवरलाल के खातेदारी की थी, जिसमें से 970.76 वर्गमीटर भूमि का व्यवसायिक संपरिवर्तन करवाया गया तथा कुछ भाग में दुकाने बनवाई। खसरा संख्या 937 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा अपीलान्ट संख्या 02 शिम्भुदेवी के खातेदारी की है। उक्त भूमि में से रास्ता निकालने बाबत् पूर्व में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई जिस पर अपीलान्ट ने एक अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर में प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2018 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के आदेश दिनांक 07.06.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया लेकिन तहसीलदार बालेसर ने न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिए गए दिशा–निर्देशों की पालना नहीं करते हुए विधि विरूद्ध दिनांक 05.08.2022 को आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा ने वकालतनाता पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 07.10.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गयी।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण की भूमि में रास्ता कायम करने के बाबत् उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने दिनांक 31.01.2018 को आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर में प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया। प्रकरण प्रतिप्रेषित होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने पुनः प्रकरण दर्ज कर दिनांक 20.02.2019 को अपीलान्ट के खसरा संख्या 937, नवीन खसरा नं0 937/1 व 937/2 में रास्ता दर्ज करने के आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी बतलाया कि जो नया रास्ता कायम किया है उनमें अधिकांश खातेदारों द्वारा भूमि का समर्पण किया गया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि रास्ता सार्वजनिक व स्थाई रूप से चालू नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार को अन्य विकल्प का प्रस्ताव तैयार करके भेजने हेतु आदेशित किया। पूर्व में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को काटते हुए तरमीम कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2024.01.16 16:41:15 IST
Reason: SelfAttested

दी गई एवं रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर दिया गया था। उक्त आदेश की पालना में पुनः रास्ते की तरमीम हटाई गई तथा जो भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में से कम की गई उस भूमि को पुनः अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज की गई। खसरा संख्या 937 / 2 की भूमि व्यवसायिक भूमि है एवं व्यवसायिक भूमि में तहसीलदार को धारा 251 के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार भी नहीं है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 20.02.2019 के विरूद्ध शम्भूसिंह व मालाराम ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में प्रस्तुत की जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 24.10.2019 को भी निरस्त कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता दर्ज करने बाबत् गलत व विधिविरूद्ध प्रयास किये गये लेकिन न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय से रास्ता निरस्त हुआ एवं अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज हुए फिर भी उक्त सभी तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए तहसीलदार सेखाला ने दिनांक 05.08.2022 को अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता खुलवाने का आदेश पारित कर दिया जिस पर दिनांक 05.08.2022 को मौके पर पटवारी व आर0 आई0 हल्का ने पुलिस सहायता लेकर अपीलान्ट की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हुए फाटक तोड़कर मौके पर रास्ता कायम करने की कार्यवाही की। मौके पर चार ट्रक अपीलान्ट के पत्थर पड़े थे वो भी अपीलान्ट की खड़ी फसलों के ऊपर फेंक दिये, जिससे अपीलान्ट को भारी नुकसान हुआ। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतया गलत व गैर कानूनी पारित किया गया क्योंकि जब पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर एवं राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा यह निर्णय पारित किया जा चुका है कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में कोई कदीमी रास्ता नहीं है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेखाला ने धारा 251 सुखाचार के तहत कार्यवाही कर मौके पर अवैध रूप से रास्ता खुलवाने की कार्यवाही की। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गैर कानूनी व विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है तथा पूर्व में पारित अन्य न्यायालयों के आदेशों की अवमानना की है। बहस के अन्त में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया [illegible] ना आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा जो क[illegible] रेस्पो0 की अपील को न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उक्त अपील को न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाकर अपील श्रवणाधिकार से परे होने से पोषणीय नहीं होने के कारण अपील मीमो मय दोनों प्रार्थना–पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाए गए। रेस्पो0 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 20.02.2019 की अपील न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में की जा चुकी है जो विचाराधीन है। रेस्पो0 संख्या 03 व सरपंच गाम पंचायत धीरपुरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष आम रास्ता खुलवाने हेतु एक प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार सेखाला को अग्रेषित किया गया। जिसे तहसीलदार द्वारा विधिवत् दर्ज कर आदेश पारित किया गया। अतः अपील विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से स्पष्ट है कि पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा 251 ए के तहत अपीलार्थीगण की भूमि में रास्ता कायम करने के बाबत् दिनांक 31.01.2018 को आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर में प्रस्तुत की न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी बालेसर के आदेश को निरस्त कर प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया। उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने प्रकरण पुनः दर्ज कर दिनांक 20.02.2022 को आदेश पारित किया कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 31.01.2018 अपीलान्ट के मूल खसरा संख्या 937 तथा नवीन खसरा संख्या 937/1 व 937/2 की सीमा तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार को निर्देश दिए जाते है कि उक्त मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य विकल्प/प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के परिपत्र की पूर्ण पालना करते हुए प्रस्तुत करे तथा अपीलान्ट के राजस्व रिकॉर्ड में इन न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2018 की पूर्व स्थिति बहाल करें। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के आदेश की अपील रेस्पो0 संख्या 03 शम्भुसिंह व मालाराम द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में की गई न्यायालय द्वारा दिनांक 24.10.2019 को अपील श्रवणाधिकार से परे होने से पोषणीय नहीं होने के कारण अपील मीमो मय दोनों प्रार्थना–पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाए गए तथा वर्तमान में सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सेखाला द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता खोलने का आदेश श्रवणाधिकार के बाहर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

विधि विरूद्ध ही माना जाने योग्य है, परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सेखाला द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 5/2022 सरपंच ग्राम पंचायत धीरपुरा बनाम भंवरलाल में पारित ओदश दिनांक 05.08.2022 को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 18.10.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested